

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित सूचनाओं को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु विन्दुवार विवरण।

(i)	The particulars of its organisation, function and duties;	अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य ;	विश्वविद्यालय से संबंधित विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 यथासंशोधित, में उल्लिखित है जिसका अवलोकन इस लिंक से किया जा सकता है- https://drive.google.com/file/d/1dzz_kWzH0gpNPVWNuGdMl_SVOn विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 यथासंशोधित, धारा: 14-18 में उल्लिखित है जिसका अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है- https://drive.google.com/file/d/1dzz_kWzH0gpNPVWNuGdMl_SVOn विश्वविद्यालय में विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है, का उल्लेख उ0प्र0 45, 47, 49, 51 व 53 में है जिसका अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है- https://drive.google.com/file/d/1dzz_kWzH0gpNPVWNuGdMl_SVOn अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड का उल्लेख वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की परिनियमावली-2010, द्वितीय संस्करण में उल्लिखित है जिसका अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है- https://drive.google.com/file/d/1IugymWTASAYTnvaec4MtcJL2VUXBN7pOAl/view
(ii)	The powers and duties of its officers and employees;	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ;	विश्वविद्यालय से संबंधित विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 यथासंशोधित, धारा: 14-18 में उल्लिखित है जिसका अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है- https://drive.google.com/file/d/1dzz_kWzH0gpNPVWNuGdMl_SVOn विश्वविद्यालय में विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है, का उल्लेख उ0प्र0 45, 47, 49, 51 व 53 में है जिसका अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है- https://drive.google.com/file/d/1dzz_kWzH0gpNPVWNuGdMl_SVOn अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड का उल्लेख वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की परिनियमावली-2010, द्वितीय संस्करण में उल्लिखित है जिसका अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है- https://drive.google.com/file/d/1IugymWTASAYTnvaec4MtcJL2VUXBN7pOAl/view
(iii)	The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability;	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है;	विश्वविद्यालय में विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है, का उल्लेख उ0प्र0 45, 47, 49, 51 व 53 में है जिसका अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है- https://drive.google.com/file/d/1dzz_kWzH0gpNPVWNuGdMl_SVOn अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड का उल्लेख वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की परिनियमावली-2010, द्वितीय संस्करण में उल्लिखित है जिसका अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है- https://drive.google.com/file/d/1IugymWTASAYTnvaec4MtcJL2VUXBN7pOAl/view
(iv)	The norms set by it for the discharge of its function;	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड;	विश्वविद्यालय से संबंधित विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 यथासंशोधित तथा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की परिनियमावली-2010, द्वितीय संस्करण में उल्लिखित अभिलेख, नियम, विनियम, अनुदेश, शासनादेश, अध्यादेश, निर्देशिका, विवरणिका इत्यादि। लिंक निम्नवत है- https://drive.google.com/file/d/1dzz_kWzH0gpNPVWNuGdMl_SVOn https://drive.google.com/file/d/1IugymWTASAYTnvaec4MtcJL2VUXBN7pOAl/view
(v)	The rules, regulation, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its function;	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;	विश्वविद्यालय से संबंधित विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 यथासंशोधित तथा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की परिनियमावली-2010, द्वितीय संस्करण में उल्लिखित अभिलेख, नियम, विनियम, अनुदेश, शासनादेश, अध्यादेश, निर्देशिका, विवरणिका इत्यादि। लिंक निम्नवत है- https://drive.google.com/file/d/1dzz_kWzH0gpNPVWNuGdMl_SVOn https://drive.google.com/file/d/1IugymWTASAYTnvaec4MtcJL2VUXBN7pOAl/view

Wpb
10.01.2024

Wpb
10.01.2024

Wpb
10.01.2024

(vi)	A statement of the categories of documents that are held by it or under its control;	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;	विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी, कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक के नियंत्रणधीन अनुभागों द्वारा अपने अपने अनुभाग से संबंधित अभिलेखों / दस्तावेजों को धारित किया जाता है।
(vii)	The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof;	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;	विश्वविद्यालय के आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ (IQAC) एवं विश्वविद्यालय की सभा (Court) में जनता के सदस्यों से परामर्श की व्यवस्था विद्यमान है जिसका लिंक निम्नवत् है :- https://www.vbspu.ac.in/en/page/iqac-committee (IQAC) https://www.vbspu.ac.in/en/page/court (Court) उक्त के साथ साथ अभ्यावेदन के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, आई0जी0आर0एस0 एवं लोक शिकायत की व्यवस्था विद्यमान है।
(viii)	A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meeting of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public;	ऐसे बोर्डों, परिषदों समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उनके भाररूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी विवरण;	उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 यथासंशोधित की धारा-25 (विद्या परिषद), धारा-26 (वित्त समिति), धारा-27 (संकाय), धारा-28 (प्रवेश समिति), धारा-29 (परीक्षा समिति) की बैठकें जनता के लिए खुली नहीं होंगी किन्तु बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी जिसका अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है:- https://drive.google.com/file/d/1lgywWTASAYTnva4Mtel2VUXBN7pOAl/view https://www.vbspu.ac.in/en/page/minutes-of-meetings
(ix)	A directory of its officers and employees;	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका;	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका का अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है:- https://www.vbspu.ac.in/en/page/telephone-directory
(x)	The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;	अपने प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो;	वित्तीय नियम सग्रह खण्ड-5, भाग-2 से 4 एवं उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत विभिन्न शासनादेशों व मैन्युअल ऑफ गवर्नमेंट आर्डर की व्यवस्था।
(xi)	The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans,	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गए आवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां, उपदर्शित	आय व्यय का विवरण, बैंलेंस सीट, वेतन पंजिका, पेंशन पंजिका, जी0पी0एफ0 पंजिका, अग्रिम पंजिका, सी0डी0आर0 पंजिका, चेक पंजिका, आडिट पंजिका एवं बैंक / ड्राफ्ट पंजिका। विश्वविद्यालय के बजट का अवलोकन निम्नलिखित

WSPU 10/01/2024

10/01/2024

10.01.2024

	Proposed expenditures and reports on disbursements made;	करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण, को आवंटित बजट;	लिंक से किया जा सकता है:- https://www.vbspu.ac.in/en/page/annual-budget
(xii)	The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की शीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्यौरे सम्मिलित हैं;	भुगतान पंजिका, अग्रिम पंजिका एवं प्राप्ति पंजिका।
(xiii)	Particulars of recipients of concessions, permits of authorizations granted by it;	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां	विश्वविद्यालय द्वारा सामान्यतः रियायत दिये जाने की कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है।
(xiv)	Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;	किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में व्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो;	विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों का विवरण AISHE के लिंक https://www.vbspu.ac.in/en/page/affiliation-aishe पर उपलब्ध है।
(xv)	The particular of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use;	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें, किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुसूचित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;	नागरिकों द्वारा प्रार्थना पत्रों, सूचना का अधिकार अधिनियम, ई-मेल एवं आईओजी0आर0एस0 व्यवस्था से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी विश्वविद्यालय के शोधार्थियों, छात्रों, अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, सम्बद्ध महाविद्यालयों से आने वाले शोधार्थियों/छात्रों व शिक्षकों के अध्ययन के लिए प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक खुली रहती है।
(xvi)	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers;	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;	श्री अमृत ताल, उप कुलसचिव/जन सूचना अधिकारी श्री महेंद्र कुमार, कुलसचिव/प्रथम अपीलीय अधिकारी
(xvii)	Such other information as may be prescribed; and thereafter update these publication every year;	ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाय, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;	विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष दीक्षान्त पुस्तिका एवं गतिमान का प्रकाशन किया जाता है।

(डा० मनीष मुक्ता)
10/01/24

सदस्य,

बायोटेक्नालाजी विभाग, परिसर

(प्रो० मुसाद अली)
10/01/24

सदस्य,

एम0बी0ए0 विभाग, परिसर

(प्रो० प्रदीप कुमार)

अध्यक्ष/संयोजक

बायोटेक्नालाजी विभाग, परिसर

10.01.2024